मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ManiBhavnam Home Finance

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम, 2002") की धारा 13(2) के तहत सूचना

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, एन–2, साउथ एक्सटेंशन भाग–1, नई दिल्ली–110049 (यहां के बाद "एमबीएचएफ" के साथ संदर्भित) जो अधिसूचना दिनांक 17.06.2021 के तहत केंद्र सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत है, "वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" के उद्देश्य के लिए वित्तीय संस्थान के रूप में माना जाए, के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002" के प्रावधान के तहत अधोहस्ताक्षरी मौजूदा प्राधिकृत अधिकारी ने एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना आपको जारी की है :–

1. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी अशोक कुमार मीना (आवेदक) पता : गांव झार, पटीवालो की धानी, तहसील बस्सी, जयपुर, राजस्थान (303305) **2. श्री अशोक कुमार मीना पुत्र श्री शंकर लाल (सह–आवेदक)** पता : गांव झार, पटीवालो की धानी, तहसील बस्सी, जयपुर, राजस्थान (303305) **3. श्री नरेंद्र कुमार मीणा पुत्र श्री बाबू लाल मीणा (गारंटर)** पता : गांव झार, धकाला की धानी, तहसील बस्सी, जयपुर, राजस्थान (303305) **4. मैसर्स त्रिवेणी इंटरप्राइजेज** पता : 111, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर (302020) **ऋण खाता संख्या :** LP00000000004640 **बकाया राशि :** रु. 11,20,368.87/– (रुपए ग्यारह लाख बीस हजार तीन सौ अड़सठ व सतासी पैसे केवल) 20.01.2026 तक **एनपीए तिथि :** 09.01.2026 **13(2) सूचना की तिथि :** 22.01.2026 **अनुसूची–I। (गिरवी संपत्ति का विवरण) :** खसरा नं. 154 के भाग में स्थित आवासीय प्लॉट के सभी भाग व शेष, गांव झार, पटवार हलका धूधाली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान में श्री कैलाशी देवी पत्नी अशोक कुमार मीणा के नाम पर संपत्ति सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : "20" फुट सीसी रोड, पश्चिम : रामफूल मीणा का बड़ा, उत्तर : मकान नरसी लाल मीणा दक्षिण : काना राम मीणा का मकान व भूमि, कुल क्षेत्र : 623.33 वर्ग यार्ड और 521.10 वर्ग मीटर

इन्हीं कारणों से, हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः यह मांग सूचना प्रकाशन है। आपको एतद्द्वारा भावी ब्याज, लागत, आकस्मिक व्यय, शुल्क आदि के सहित उपरोक्त राशि इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, असफल होने पर मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऋणी/यों को इस प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के सहित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों में से एक या अधिक या सभी के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी प्रावधान के तहत आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसके अतिरिक्त आप उपरोक्त प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को बिक्री/लीज या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत प्रतिबंधित हैं। कृपया ध्यान दें कि इसके अतिरिक्त कोई मांग सूचना जारी नहीं की जाएगी।

स्थान : राजस्थान **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 03.02.2026 **मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

डीसीबी बैंक लिमिटेड

DCB BANK

दूसरी मंजिल, एस–1 से एस–2, गौजगढ़ टॉवर, हवा सड़क, सिविल लाइन्स, जयपुर – 302006 (राजस्थान)

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत डीसीबी बैंक लिमिटेड, का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखा उधारकर्ता (उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता) को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में वर्णित बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ-साथ f/W धारा 14(1) के तहत पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत नीचे वर्णित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति का विवरण) के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन डीसीबी बैंक लि., के प्रभार वास्ते निम्नांकित बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

1. मांग सूचना की तिथि	17-11-2025
उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री गोरधन मनवानी, श्री शंकर दास और मेसर्स अजंता ट्रेडर्स इसके अधिकृत
ऋण खाता नं.	DRBLAJE00495004/DRBLAJE00514531
कुल बकाया राशि	रु. 56,27,015.87 (रु. छप्पन लाख सत्ताईस हजार पंद्रह और पैसे सत्तासी मात्र) दिनांक 11.11.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	प्लैटों/मकान नं. 1/2 से जुड़ी भूमि का वह समस्त भाग जोकि किशनगढ़, ब्लॉक नं. 1, हाउसिंग एस्टेट किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ और जिला अजमेर क्षेत्रफल 162 वर्गमी. के आसपास और सीमाएं: उत्तर–सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिण–1/28–1/29, पूर्व–1/3, पश्चिम–1/1 (सुरक्षित संपत्ति)
2. मांग सूचना की तिथि	26-08-2025
उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव (अब दिवंगत) और श्रीमती नीरा देवी (नीरज कुमार श्रीवास्तव के सह–उधारकर्ता और कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते)
ऋण खाता नं.	DRBLJAI00562105/DRHLJAI00562113
कुल बकाया राशि	रु. 54,11,787/- (रु. चौवन लाख ग्यारह हजार सात सौ सत्तासी मात्र) दिनांक 28.08.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	प्लॉट संख्या 8 और 9 का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि नंदपुरी जी विस्टार स्वेज फार्म हवा रोड जयपुर राजस्थान –302019 क्षेत्रफल 85 वर्ग गज और सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नं. 10, दक्षिण: प्लॉट नं. 7, पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य संपत्ति, (सुरक्षित संपत्ति)
3. मांग सूचना की तिथि	17-11-2025
उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ता(ओं) का नाम	श्री सुखराम विश्नोई (अब दिवंगत) इसके कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से और श्रीमती रानी विश्नोई (सुखराम विश्नोई की सह–उधारकर्ता और कानूनी उत्तराधिकारी)
ऋण खाता नं.	DRBLJOD00584820/DRHLJOD00584807
कुल बकाया राशि	रु. 89,15,999.22/- (रु. नवासी लाख पद्रंह हजार नौ सौ निन्यान्वे और पैसे बाईस मात्र) दिनांक 17.11.2025 तक
अचल संपत्ति का विवरण	संपत्ति–1 संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं.36 क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट यानी 266.66 वर्ग गज, खसरा नं.120 श्यामनगर योजना ग्राम चोपासनी जागीर जिला जोधपुर सीमाएं: उत्तर –30' सड़क, दक्षिण–प्लॉट नंबर 45, पूर्व–प्लॉट नं.36, पश्चिम –प्लॉट नं.37, संपत्ति–2 संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं.45 क्षेत्रफल 2400 वर्ग फुट यानी 266.66 वर्ग गज, खसरा नं.120, 120/1 और 120/2 श्यामनगर योजना ग्राम चोपासनी जागीर तहसील और जिला जोधपुर सीमाएं: उत्तर – प्लॉट संख्या 36, दक्षिण–30 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: –प्लॉट नंबर 32 और 33, पश्चिम–प्लॉट नंबर 44 (सुरक्षित संपत्ति)

दिनांक: 03.02.2026 **कृते डीसीबी बैंक लि.**
स्थान: अजमेर, जयपुर, जोधपुर **प्राधिकृत अधिकारी**

Navigate markets with focused insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

Truhome FINANCE

(पूर्व श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: श्रीनिवासा टावर्स, पहली मंजिल, द्वार संख्या 5, पुराना नंबर 11, दूसरा लेन, सेनोटैफ रोड, अलवरपेट, टेयनेमपट, चेन्नई - 600018, तमिलनाडु
कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल 3, वॉकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग, सी–2, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051, टोल फ्री: 1800-102-4345, सीआईएन: U65929TN2010PLC078004
ईमेल: contact@truhomefinance.in, **वेबसाइट:** www.truhomefinance.in

सार्वजनिक सूचना

इस सूचना के माध्यम से, ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि सांगानेर शाखा, राजस्थान, का पता 6 मई 2026 से बदल गया है।

शाखा का नाम	वर्तमान में शाखा का पता	शाखा का नया पता
सांगनेर	प्लॉट नंबर सी -1, द्वितीय तल, श्री दादू नगर, फागी रोड, सांगानेर, जयपुर - 302029, राजस्थान	प्रथम तल, प्लॉट नंबर-6, बृज विहार विस्तार, जगतपुरा फ्लाईओवर रोड के पास, जगतपुरा, जवपुर, राजस्थान-302017

अधिक जानकारी/प्रश्नों के लिए, कृपया टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें/हमें ईमेल भेजें/ऊपर दिए गए पते पर हमारी शाखा में आएँ।

स्थान: सांगानेर, राजस्थान **हस्ता./–** प्राधिकृत अधिकारी– ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
तिथि: 03-02-2026 (पूर्व का श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

AXIS BANK LTD.

शाखा का पता : पहली मंजिल, माजदा टावर्स, त्र्यंबक नाका, जिला परिषद कार्यालय के सामने, जीपीओ रोड, नासिक–४२२००१। **परिशिष्ट–IV [नियम ८(१)] कब्जा सूचना**

यहाँ अधोहस्ताक्षरी, एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ को अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ की धारा १३ (१२) के साथ पठित नियम ३ को अंतर्गत प्रतियों का प्रयोग करते हुए **तारीख २३/०१/२०२४** को एक मांग सूचना जारी की है, जिसमें उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं / गिरवीदार/गारंटरों **१) श्री. वीराराम भागाजी पुरोहित २) श्रीमती मंजूदेवी वीराराम पुरोहित, दोनों निवासी :** फ्लैट नं.३३, तीसरी मंजिल, साई संजीवनी कंपनी ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड नासिक, बिल्डिंग नं.२, उत्तरा नगर, बोधले नगर, नासिक, ता. और जिला। नासिक–४२२१०१, **साथ ही :** फ्लैट नं.१, ओम नमशिवाय अपार्टमेंट, टेगोर नगर, पूना रोड, जिला नासिक–४२२१०१, **साथ ही :** भागा राम, मकान नं.७०५, ओसावलों का वास, कैलाशनगर, लास, सिरोही, राजस्थान–३०७८०१. नोटिस में उल्लिखित राशि यानी **रु. २५,६४,१४४/– (रुपये पचीस लाख चौंसठ हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) तारीख ११/०१/२०२४** तक की राशि और इसके साथ ही **तारीख १२/०१/२०२४** से भुगतान की तिथि तक संविदात्मक ब्याज दर भी लागू होगी।, दर उक्त सूचना की तिथि से **६० दिनों** के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था।

उपरोक्त उल्लेखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गिरवीदारों/गारंटरों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण,उधारकर्ता, गारंटरों और उपरोक्त उल्लेखित अन्य व्यक्तियों को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (४) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ६ और ८ के अनुसार, तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नासिक के अभियोग याचिका **क्रि .एम.ए.नं.९३३९/२०२५ तारीख ११/०९/२०२५** आदेश के नुसार, **तारीख ३० जनवरी २०२६ को, नीचे वर्णित संपत्ति का सीधे कब्जा ले लिया है।**

विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं, गारंटरों और अन्य लोगों तथा आम जनता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा **रु. २५,६४,१४४/– (रुपये पचीस लाख चौंसठ हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) तारीख ११/०९/२०२४** तक की राशिऔर इसके साथ ही **तारीख१२/०९/२०२४** से भुगतान की तिथि तक संविदात्मक ब्याज दर भी लागू होगी।

ऋणकर्ताओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम, २००२ की धारा १३ की उपधारा (८) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

साई संजीवनी को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, नासिक नामक इमारत नं.२ में स्थित, तीसरी मंजिल पर, फ्लैट नं.३३ का पूरा हिस्सा, जिसका निर्मित क्षेत्रफल ५९० वर्ग फुट यानी ५४.८३ वर्ग मीटर है, जो सर्वेक्षण नं.८४/१ए +१बी/२+३+सी के अंतर्गत प्लॉट नं.२+३+४+५ पर निर्मित है, नासिक गांव, तहसील एवं जिला नासिक में स्थित है और नासिक नगर निगम की सीमा के भीतर आता है। इसके स्वामित्व में वीरराम भगाजी पुरोहित और मंजुदेवी वीरराम पुरोहित हैं। **इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व :** सीमांत स्थान और सड़क, **पश्चिम :** फ्लैट नं.३४, **उत्तर :** सीढ़ी, **दक्षिण :** सड़क।

तारिख : ३०/०१/२०२६ **हस्ताक्षर/–**
स्थान : नासिक **अधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड**

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

• **पंजीकृत कार्यालय:** ग्रेप गार्डन, नं. 27 तीसरा 'ए' क्रास, 18वाँ मेन, 6वाँ ब्लॉक, कोरमंगला, बैंगलुरू, कर्नाटक–560095 • **क्षेत्रीय कार्यालय:** जीएमटीटी बिल्डिंग, प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
• **शाखा भीलवाड़ा:**–प्लॉट नं. 3 और 4, श्री महालक्ष्मी चैम्बर्स, पुर रोड (पुराना आर.टी.ओ. रोड), एलजी शोरूम के आगे, गांधी नगर, भीलवाड़ा–311001 • **संपर्क व्यक्ति:**–(1) **चैन सिंह गोयल, मो.:** 9950437507; (2) **संजय शर्मा, मो.:** 9983365566

सार्वजनिक नीलामी नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली (सरफासी अधिनियम), 2002 के तहत बिक्री हेतु सार्वजनिक नोटिस

अधोहस्ताक्षरी ने **उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में **सरफासी अधिनियम** की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक के देयों की वसूली के लिए नीचे वर्णित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी **"जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है"** आधार पर नीचे तालिका में उल्लिखित तिथि को आयोजित की जायेगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/ सह–कर्जदार/ जमानती के नाम	13–2 नोटिस की तारीख और मांग राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की तारीख	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य रु. में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई–नीलामी की तिथि व समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण
1.	2288210500000010	(1) मनोज कुमार पुत्र भरोस राय @ भरोसी राय (2) सुगंधी कुमारी पत्नी मनोज कुमार	30.07.2025 रु. 27,54,731/-	25.11.2025 (सांकेतिक कब्जा)	रु. 28,43,951.76/– (दि. 30.01.2026 को)	02.03.2026 अप. 02.00 पूर्व समयादेश लेकर	रु. 24,30,000/–	रु. 2,43,000/–	13.03.2026 पूर्वा. 11.00 से अप. 12.00 तक	12.03.2026 अप. 04.00 तक	ईएमडी उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से भीलवाड़ा शाखा में जमा की जाए अथवा खाता सं. 2201103462001, IFSC UJVN0002201 में आरटीजीएस/ एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से जमा करनी होगी
		आवासीय प्लॉट नं. 23, माप 600 वर्ग फुट, आराजी नं. 7167/1, राजस्व गाँव पुर, तहसील और जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के समस्त भाग व खंड और **जिसकी सीमाएँ निम्नवत् हैं:– पूर्व:** प्लॉट नं. 23/1; **पश्चिम:** रोड; **उत्तर:** प्लॉट नं. 22; **दक्षिण:** रोड									

नियम एवं अनुदेश: ई–नीलामी **"जैसी है, जहाँ है" और "जहाँ है, जो भी है"** आधार पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीकारी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी की जाने वाली संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार, संपत्ति पर हक, दावे/ अधिकार/बकाया आदि की अपनी जांच–पड़ताल कर लें। ई–नीलमी का विज्ञापन बैंक की ओर से कोई वायदा या बयान नहीं करता है और न ही ऐसा समझा जाए। संपत्ति बैंक को ज्ञात एवं अज्ञात सभी वर्तमान एवं भावी भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रत्यभूत देनदार तीसरी पार्टी दावों/अधिकारों/देयों के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।
2. बोली जमा करने से पूर्व सभी प्रकार से जांच करने और परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में संतुष्ट होने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीकार की होगी। नीलामी के लिए रखी संपत्ति/ओं के निरीक्षण प्रत्येक संपत्ति के विवरण में वर्णित साइटों पर इच्छुक निविदाकार को अनुमत होंगे।
3. इच्छुक निविदाकार को उपरोक्त नीलामी तिथि से पूर्व अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी के पास अपनी बोली जमा करनी होगी।
4. ई–नीलामी **उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक** के अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता – **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., संपर्क व्यक्ति– प्रभाकरन (मोबा. नं. 7418281709)** के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इच्छुक निविदाकार संपत्तियों के विवरण के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com या https://www.ujjivansfb.in/e-auctions देखें और बोली में भाग लेने के लिए वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करें। संभावी निविदाकार सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., हेल्पलाइन नं.– 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ई–मेल आईडी:** support@bankeauctions.com, **नीलामी पोर्टल:** https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति प्रत्यभूत लेनदार अर्थात उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. द्वारा बोली स्वीकृति के तहत उच्चतम बोलीकार/पेशकश को बिक्री की जायेगी। हालांकि, यदि जरूरी लगा तो परस्पर बोली कराने की अनुमति देना का विवेक अधोहस्ताक्षरी को होगा। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए किसी ऑफर/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. सफल निविदाकार की **धरोहर राशि जमा** बिक्री राशि के लिए रोक ली जायेगी और असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी। सफल बोलीकार को अंतिम बिक्री राशि अर्थात संपत्ति की नीलामी राशि का 25% पहले से भुक्त ईएमडी राशि को समायोजित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकृति के 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी और शेष 75% राशि संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15 दिन के अंदर या केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक से लिखित में सहमत ऐसी किसी विस्तारित अवधि जो किसी भी अवस्था में 3 माह से अधिक नहीं होगी, के अंदर जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न होने पर पहले से जमा राशिज्ञ जब्त किए जाने के लिए संभावी होगी और संपत्ति नयी बिक्री उद्घोषणा के बाद दुबारा बेची जायेगी और चूककर्ता क्रेता के संपत्ति पर या बाद में इसकी बिक्री से प्राप्त राशि पर सभी दावे खत्म हो जायेंगे।
7. प्रकाशन अप्रत्याक्षित घटना के तहत है।
8. बोलीकार के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली करने से बचा जाए क्योंकि किसी चूक/कमी (इंटरनेट/बिजली आदि नहीं होना) के लिए न तो **उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक** और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निविदाकारों से सभी जरूरी व्यवस्था/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति आदि करने का अनुरोध है ताकि वे किसी भी परिस्थिति से पार पा सकें और नीलामी में बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक भाग ले सकें।
9. **यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए अनुसूचित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानती/बंधककर्ताओं को एक नोटिस भी है।**

दिनांक: 02.02.2026 **स्थान:** राजस्थान **प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाईनेंस बैंक**

सीएफएम एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

CIN: U67100GJ2015PTC083994

thoughtful regeneration

पहली मंजिल, वेकफील्ड हाउस, स्प्रोट रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई -400038 ईमेल: ram-jaluka@cfmarc-in संपर्क: 022-40055282/8976862752

कब्जे की सूचना

"फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 के असाइनमेंट डीड के जरिए सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिया है। चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (सीएफएम एआरसी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं/गारण्टर को देय राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सीएफएमएआरसी द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क और व्यय आदि (मांग नोटिस जारी होने के बाद से भुगतान की गई राशि को घटाकर, यदि कोई हो) के अधीन होगा। उधारकर्ता और व्यक्तिगत गारंटर का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। LAN नंबर उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता/ बंधककर्ता /गारंटर मांग नोटिस की तिथि और राशि बंधक संपत्ति के कब्जे का विवरण।

ऋणी/सह–ऋणी एवं गारण्टर का नाम एवं पता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	कब्जे की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) 6041491, कैलाश नाथ (ऋणी/बंधककर्ता) अंगूरी जोगी (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 4,10,536/- चार लाख दस हजार पांच सौ छत्तीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	29-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 43 ग्राम कोशीथाल, जीपी कोशीथाल पंचायत समिति सहादा, जिला भीलवाडा, राज. 311806, क्षेत्रफल 180 वर्गफीट, पूर्व: लखना नाथ की भूमि, पश्चिम: छोगा लाल का प्लॉट, उत्तर: रास्ता, दक्षिण: रास्ता
(ऋण खाता संख्या) 6012765, रतन लाल बंजारा (ऋणी/बंधककर्ता), कमला बाई (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 4,14,502/- चार लाख चौदह हजार पांच सौ दो रूपये मात्र 31.03.2025 तक	28-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित संकल्प नं. 04, ग्राम बालदियों का खेडा, ग्राम पंचायत परी, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ, राज. 312204, क्षेत्रफल 726 वर्गफीट, पूर्व: श्री शंकर पुत्र श्री बिहारी बंजारा, पश्चिम: रोड एवं श्री चम्पा लाल पुत्र श्री मांगू, उत्तर: श्री नारायण पुत्र श्री सूरजमल बंजारा, दक्षिण: श्री हजारी पुत्र श्री दल्ला बंजारा का प्लॉट
(ऋण खाता संख्या) 6015750, हजारी (ऋणी), मनभर (सहऋणी/बंधककर्ता),	27.05.2025 Rs. 3,63,655/- तीन लाख तिरेसठ हजार छः सौ पचपन रूपये मात्र 31.03.2025 तक	29-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 21, ग्राम बिदला ग्राम पंचायत बिदला, पंचायत समिति सरवर, जिला अजमेर, राज. 305412, क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, पूर्व: रामपाल की संपत्ति, पश्चिम: स्वयं की भूमि के पश्चात आम रास्ता, उत्तर: श्यामा की संपत्ति, दक्षिण: फतेहगढ रोड
(ऋण खाता संख्या) 6017882, छान सिंह (ऋणी/ बंधककर्ता), पार्वती (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 5,64,248/- पांच लाख चौसठ हजार दो सौ अडतालीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	29-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 12, ग्राम कुशलपुरा जीपी जोतया पंचायत समिति सरवर जिला अजमेर, राज. 305627, क्षेत्रफल 946 वर्गफीट, पूर्व: घीसा की संपत्ति एवं समलती रास्ता, पश्चिम: लाला रावत की संपत्ति, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: स्वयं की भूमि के पश्चात मदन की संपत्ति
(ऋण खाता संख्या) 6018503, बोदू लाल (ऋणी/बंधककर्ता), संगीता (सहऋणी), कपिलेश चौहान (सहऋणी/बंधककर्ता)	27.05.2025 Rs. 4,06,609/- चार लाख छः हजार छः सौ नौ रूपये मात्र 31.03.2025 तक	29-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 24, ग्राम कसाना ग्राम पंचायत हरपुरा, पंचायत समिति सरवर, जिला अजमेर, राज. 305403, क्षेत्रफल 376 वर्गफीट, पूर्व: स्वयं की भूमि एवं आम रास्ता, पश्चिम: कमलूदीन की संपत्ति, उत्तर: इस्लाम की संपत्ति, दक्षिण: इकराम की संपत्ति एवं रास्ता
(ऋण खाता संख्या) 6020047, शियावराज (ऋणी/ बंधककर्ता), मोहिनी देवी (सहऋणी)	27.05.2025 Rs. 1,91,235/- एक लाख इक्यानवे हजार दो सौ पैंतीस रूपये मात्र 31.03.2025 तक	29-जनवरी-26	रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति भूमि/बिल्डिंग/स्ट्क्चर एवं फिक्सर के सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं. 35, ग्राम बिदला ग्राम पंचायत ब